व्यापक स्वास्थ्य-सेवा के सार्वभौमिक अधिकार के लिये अभियान

उद्देश्य:

- जन-स्वास्थ्य अभियान की पृष्ठभूमि जानना।
- स्वास्थ्य-सुविधाओं के आंदोलन के आधार के बारे में समझना।
- अभियान के मुख्य बिंदु/मुद्दे जानना।
- जन-स्वास्थ्य आंदोलन के अब तक के परिणाम देखना।
- आगामी कार्यनीति पर विचार करना।

वैश्वीकरण के दौर में स्वास्थ्य अधिकार पर दावा

जन-स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत

- सन् २००० में १८ राष्ट्रीय संगठन जन -स्वास्थ्य संसद की प्रक्रिया (People's Health Assembly) हेतु एकत्रित हुए।
- राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय कार्यशालाएँ, करीब २०० जिलों में जन-स्वास्थ्य संबन्धी जांच, राज्य स्तरीय स्वास्थ्य संसद तथा जन स्वास्थ्य रेल का आयोजन हुआ ।
- ३० नवंबर से १ दिसंबर २००० तक राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य संसद आयोजित की गई, जिसमें १९ राज्यों से २००० प्रतिनिधियों की सहभागिता रही, जन स्वास्थ्य सनद पेश की गई।
- १ दिसंबर २००१ को स्थायी आंदोलन के रूप में जन स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत हुई।

भारत में स्वास्थ्य सेवा के अधिकार के आंदोलन की पृष्ठभूमि

- जन स्वास्थ सुविधाओं में गंभीर रूप से गिरावट तथा १९९० के दशक के मध्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में ठहराव या गिरावट।
- अनियंत्रित निजी स्वास्थ्य- सेवाओं के खर्च में तेजी से वृद्धि।
- वैश्वीकरण और उदारीकरण के नकारात्मक सामाजिक परिणाम का तीव्र विरोध।

जब नीतियों कमजोर पड़ती हैं तो अधिकार की राजनीति ज़ोर पकड़ती है !

स्वास्थ्य-सुविधाओं के अभियान का आधार

- भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार अस्पष्ट और अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। इसे प्रत्यक्ष, स्पष्ट और न्यायिक प्रक्रिया से पाने योग्य बनाना ज़रूरी है।
- 'स्वास्थ्य का अधिकार' एक विशाल दृष्टिकोण है जबकि 'स्वास्थ्य- सेवाओं का अधिकार' अभियान की एक केन्द्रित कार्यनीति हो सकती है।
- जन-स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त करने और कार्यक्रमों में विशिष्ट सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार पर अभियान को जनपैरवी से जोड़ा जा रहा है।

भारत में स्वास्थ्य-सेवा अधिकार पर अभियान की शुरुआत

- जन -स्वास्थ्य अभियान (जेएस्ए) ने ६ सितंबर २००१ को मुंबई में राष्ट्रीय जन- परामर्शिका का आयोजन किया। यह आयोजन 'सभी के लिए स्वास्थ्य' घोषणा की २५ वीं वर्षगाँठ पर किया गया था।
- इसमें १६ राज्यों के २५० से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे।
- ६० से ज़्यादा मामले जिसमें स्वास्थ्य सेवाएँ नकारी गयी थीं, प्रस्तुत किये गये।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने इन मामलों को सुनकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
- राज्य स्तरीय कार्यनीतियाँ बनायी गयीं तथा स्वास्थ्य सेवा अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने हेतु काम करने का संकल्प लिया गया।

अभियान के मुख्य बिंदु

- एक समान फॉर्म द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से स्वास्थ्य- सेवा नकारने के मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया।
- सहभागितापूर्ण सर्वेक्षण - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा ग्रामीण अस्पतालों का कई राज्यों में सहभागिता पूर्ण सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण के लिए एक समान जांच-सूची(चेकलिस्ट)का उपयोग किया गया।
- इसके आधार पर जिला स्तरीय जनसुनवाइयों का आयोजन किया जिसमें हज़ारों लोग, जन- स्वास्थ्य आंदोलन (People's Health Movemnet) के कार्यकर्ता, स्वास्थ्य-अधिकारी तथा विशेषज्ञ मौजूद थे।
- यह सारी जानकारी एकत्रित कर ५ क्षेत्रीय जन-सुनवाई में सम्मिलित की गई। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी जुड़ा।
- दिसंबर २००४ में एक राष्ट्रीय जन-सुनवाई का आयोजन किया गया जिसमें केन्द्री व सभी राज्यों के वरिष्ठ स्वास्थ्य-अधिकारी उपस्थित थे।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन्एच्आर्सी) ने अपनी वार्षिक कार्य-योजना में स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार स्थापित करना सम्मिलित किया है। इस अधिकार के राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन की वार्षिक समीक्षा करना भी तय किया।

अभियान का पहला कदम

- जन-सुनवाई
- स्वास्थ्य सेवा नकारे जाने के व्यक्तिगत मामलों का दस्तावेजीकरण

- साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के सर्वेक्षण द्वारा संस्थागत रूप से स्वास्थ्य-सेवा अधिकार के नकार जाने का दस्तावेजीकरण
- पिपल्स हेल्थ ट्रिब्यूनल (जन स्वास्थ्य अदालत) लोक अदालत के समान है। इसमें समाज के लोग, संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी और 'फैसला करने वाले' जाने-माने विशेषज्ञों का मंच भाग लेते हैं।
- लोग स्वास्थ्य सेवा नकारे जाने की गवाही देते हैं; सुझावों सहित सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रस्तुति होती है।
- स्वास्थ्य -अधिकारियों को उत्तर देने का अवसर दिया जाता है।
- अंत में विशेषज्ञ अपनी राय देते हैं और फैसला सुनाते हैं ।
- स्थानीय संचार माध्यम इसे बड़ी प्रसिद्धी देते हैं तथा सरकारी विभागों पर सुधार हेतु दबाव लाते हैं।

स्वास्थ्य-सेवा के अधिकार की राष्ट्र स्तरीय जनसुनवाई

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, एन्एच्आर्सी के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी तथा २२ राज्यों के १०० से अधिक प्रतिनिधियों की सहभागिता
- ५ क्षेत्रीय सत्र जिसमें ९ सत्र विशेष स्वास्थ्य अधिकार पर
- स्वास्थ्य अधिकार के उल्लंघन का राष्ट्रीय मूल्यांकन - राष्ट्रीय कानून तथा आंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के परिप्रेक्ष में
- एन्एच्आर्सी द्वारा समग्र राष्ट्रीय कार्ययोजना घोषित करने में इसकी परिणति

राष्ट्रीय चुनाव से पहले स्वास्थ्य के मुद्दे पर राजनैतिक पक्षों के साथ संवाद

- १२ मार्च २००४ को नयी दिल्ली में विभिन्न राजनैतिक पक्षों से संवाद। स्वास्थ्य के अधिकार उनके चुनावी घोषणापत्र (मॅनिफेस्टो) में शामिल करने पर ज़ोर
- जेएसए की नीति का प्रकाशन - स्वास्थ्य सेवा को मौलिक अधिकार बनाओ
- ३०० से अधिक विशेषज्ञ तथा जेएसए प्रतिनिधि का मंच गठित
- समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्यूनिस्ट पक्ष आदि ने इस मंच में अपने प्रतिनिधि भेजे
- काँग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में मुद्दे को शामिल किया
- इसके पश्चात् 'सार्वजनिक स्वास्थ्य बचाओ-लोगों को अधिकार दिलाओ' रैली निकाली गयी

पिपल्स रूरल हेल्थ वॉच - जेएस्ए द्वारा नवंबर, २००५ में एक्शन अलर्ट प्रकाशित जिसमें नीतिगत मुद्दों का विवेचन

- जनवरी २००६ में जन ग्रामीण स्वास्थ्य निरीक्षण (People's Rural Health Watch) प्रक्रिया की शुरुआत
- राज्य कार्य-शाला, सहभागितापूर्ण सर्वेक्षण, नीति की आलोचना, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय रिपोर्ट का प्रकाशन

द्वितीय राष्ट्रीय जन संसद का २३-२५ मार्च,२००७ में आयोजन

- २००० प्रतिनिधि उपस्थित। इससे पहले जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय स्वास्थ संसद का फरवरी २००७ में आयोजन

- इससे पहले २००६ में राष्ट्रीय जन संसद की तैयारी के लिए १४-१६ जुलाई, २००७ में कार्यशाला, जिसमें २०० से अधिक जेएसए प्रतिनिधि उपस्थित
- पुस्तिकाओं का वितरण
- जन स्वास्थ्य योजना बनाने के लिए मुद्दों का चयन

द्वितीय राष्ट्रीय जन संसद में प्रकाशित की गयी पुस्तिकाएँ

- वैश्वीकरण और स्वास्थ
- स्वास्थ्य - सेवाओं का संकट एवं विकल्प
- नयी चिकित्सीय प्रौद्योगिकी
- औषध नीति संबंधित मुद्दे
- महिला -स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे
- बाल स्वास्थ्य संबंधी अभियान के मुद्दे
- सीमांत समूहों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे
- वैकल्पिक जन स्वास्थ्य योजना की ओर

जेएसए के अब तक के परिणाम

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन् आर एच् एम्) में स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी दी है। इसी को स्वास्थ्य अधिकार माना जा सकता है।
- नागरिकों के स्वास्थ्य अधिकार की सनद, एन्एच्आर्एम् तथा भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (Indian Public Health Standards) का भाग
- ऐसी माँग करना ज़रूरी है कि राज्य जन स्वास्थ्य सुविधा अधिनियम एक राज्य के लिये न बन कर सभी राज्यों में बने ।
- एन्एच्आर्एम् के दस्तावेज़ में स्वास्थ सेवाओं के अधिकार का समावेश
- एन्एच्आर्एम् के तहत सहभागी निरीक्षण समिति का गठन (जिसमें १/३ जनसंगठन/ गैरसरकारी संगठन के प्रतिनिधियों का समावेश) - स्वास्थ्य अधिकार की माँग करने के लिये एक जगह और बनी है।
- एन्एच्आर्एम् के तहत समय-समय पर जनसुनवाइयों का आयोजन, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी, पंचायती राज प्रतिनिधि तथा जन संगठन/ गैरसरकारी संस्थाओं की भागीदारी

आगामी कार्यनीति

- अप्रैल २००५ से भारत सरकार द्वारा चलाए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य-सुविधाओं में अधिकाधिक सुधार का आश्वासन दिया है। ऐसी योजना है कि सन् २००६ तक देश के एक तिहाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निश्चित स्वास्थ्य- सेवाएँ उपलब्ध होंगी ।
- सन २००७-२००८ के लिये एन्एच्आर्एम् के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर २७० जन

सुनवाइयों तथा ब्लॉक स्तर पर ९० जन-सुनवाइयों का नियोजन किया जाएगा।

- इस का मतलब, बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य अधिकार केंद्रित सामुदायिक कार्यक्रम सरकारी पैसों से किये जायेंगे (कम से कम ऐसी योजना है।)
- जन ग्रामीण स्वास्थ्य निरीक्षण (पीपलस् रूरल हेल्थ वॉच, PRHW) प्रक्रिया की रिपोर्ट भी २००८ तक तैयार होनी है। यह प्रक्रिया जन स्वास्थ्य अभियान का हिस्सा है, जो स्वास्थ्य-सेवाओं की उपलब्धता की जाँच करने के लिए चलायी गयी थी। अप्रैल २००८ में एन्एच्आर्एम् के ३ साल पूरे हो रहे हैं।
- यह देख कर तय किया गया है कि जन स्वास्थ्य अभियान का दूसरा चरण, जून २००८ से शुरू किया जाए। इस चरण में निजी क्षेत्र द्वारा लोगों के स्वास्थ्य-अधिकारों के हनन और सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी की वजह से होने वाले अधिकारों के उल्लंघन आदि मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है। स्वास्थ्य के निर्धारकों से संबंधित मुद्दों जैसे पोषण, पेयजल तथा पर्यावरण आदि को भी इससे जोड़ा जा सकता है।
- ऐसा सुझाव है कि इस निरीक्षण की प्रक्रिया को 'जन स्वास्थ्य योजना के वैकल्पिक सुझावों से' भी जोड़ा जाए तो अच्छा रहेगा। आशा है कि यह कार्यनीति स्वास्थ्य- अधिकार के आंदोलन को एक नयी उंचाई पर ले जाएगी।